



2026:AHC:175129

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7050 वर्ष

2026

जितेन्द्र सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : चंद्रसेन पटेल, चन्द्रिका पटेल, यश टंडन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0097/2026 (पुलिस थाना - नगीना देहात, जिला बिजनौर) में भादसं की धाराओं 420, 120ख और 409 के तहत अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है; इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना 11.01.2023 को हुई थी, जबकि प्राथमिकी साढ़े तीन साल से ज़्यादा समय बाद 01.06.2026 को भादसं की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



धाराओं 420, 120ख और 409 के तहत दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी के बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष ने भी माना है कि गबन की गई रकम पहले ही बरामद हो चुकी है। बरामदगी के बाद, गलत इरादों से आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना अभी भी चल रही है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। विभागीय विवेचना में पाया गया है कि सह-आरोपी विकास कुमार मुख्य दोषी है, जिसने पूरी रकम का गबन किया, और पैसा सह-आरोपी विकास कुमार के बैंक खाते में अंतरित किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों से जुड़ी बातों पर कोई विवाद नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख देखा है।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना शामिल है, की संभावना, और न्याय से बचने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय वाद 676 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने या आरोपी के भाग जाने की संभावना हो। सिर्फ़ इसलिए कि गिरफ़्तारी करना विधिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ़्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ़्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के उचित कारण के बीच फ़र्क़ किया जाना चाहिए। अगर गिरफ़्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अगर विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने वास्तव में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ़्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत आवेदन को निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार किया जाता है:-**

(i) यदि उक्त प्रकरण में शामिल आवेदक -**जितेंद्र सिंह**, को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे विचारण के पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू पेश करने होंगे।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना के सिलसिले में ज़रूरत पड़ने पर विवेचनाधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक, प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे बातें बताने से रुके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।



10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/विवेचनाधिकारी/शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि वह सम्बद्ध न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

राधिका

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!